राज्यपाल

राज्यपाल

परिचय

- केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- राज्यपाल राज्य के मुखिया (मुख्यमंत्री) की सलाह से कार्य करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- सामान्यत: राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्त हो सकता है।
- राष्ट्रपति, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिये पुन: नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् नए राज्यपाल की नियुक्ति तक वह अपने पद पर बना रहता है।

राज्यपाल पद से संबंधित चुनौतियाँ

- राज्यपाल की भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख से अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में परिलक्षित होती है।
- ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है अर्थात् राज्यपाल स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद का सुझाव मानने के लिये बाध्य नहीं होगा।
- राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी अत्यंत विवादस्पद है।
- केंद्र व राज्य में विपरीत सरकारें होने की स्थिति में भी राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया जाता है।

राज्यपालों की भूमिका पर समितियाँ व आयोग

केंद्र-राज्य संबंधों पर अब तक तीन आयोग और दो समितियाँ गठित की जा चुकी हैं-

- 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग
- 1969 में राजमन्नार समिति
- 1970 में भगवान सहाय समिति
- 1988 में सरकारिया आयोग
- 2011 में पुंछी आयोग

समितियों व
की अनु

- राज्यपाल की नियुक्ति
  लिये संविधान के अनु
- राज्यपाल द्वारा अपने वि
  शक्तियों का पर्याप्त स
- इस संवैधानिक प्रावधा
  कि मंत्रिपरिषद राज्यपा
- विधानसभा में यदि वि
  न हो तो राज्यपाल क
  चाहिये और अधिवेश
  मुख्यमंत्री नियुक्त कर
- राज्यपाल के पद पर वि
  दूसरे राज्य से होना च

योग्यताएँ

- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद न धारण करता हो।
- वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिये। यद्यपि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी।